

छावनी परिषद, मथुरा CANTONMENT BOARD, MATHURA

Old Sister Mess Road, Near Regimental Bazar, Mathura Cantt-281001 (U.P.)

पत्रांक : छा.प.म./आर.टी.आई-05/542/331

दिनांक: 26 जून, 2018

श्री सुरेश चन्द उपाध्याय,
74, रेलवे कालोनी, मोतीकुंज
मथुरा।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना मांगने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्र दिनांक 26.05.2018 एवं इस परिषद के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का पत्रांक छा.प.म./आर.टी.आई.-05/542/189 दिनांक 05.05.2018।

- उपरोक्त सन्दर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि आपके आवेदन के बिन्दु 1 के सम्बंध में इस परिषद के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-11 के प्रावधानानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त लिया गया निर्णय तथ्यानुरूप है। आपको दिया गया उत्तर "ले-आउट प्लान की छायाप्रति बाजार का वास्तविक मूल्य अदा कर प्राप्त कर सकते हैं" तथ्यानुरूप है।
- आपके आवेदन बिन्दु 2 व 3 के सम्बंध में अवगत कराया जाता है कि इस कार्यालय में उपलब्ध फोटोस्टेट मशीन/प्रिन्टर से कालोनियों के ले-आउट प्लान की छायाप्रति लेना सम्भव नहीं है। इस कारण इस परिषद के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपको दिया गया उत्तर "ले-आउट प्लान की छायाप्रति बाजार का वास्तविक मूल्य अदा कर प्राप्त कर सकते हैं" तथ्यानुरूप है।
- स्थानीय बाजार से कालोनी के ले-आउट प्लान की छायाप्रति का वास्तविक मूल्य दुकानदार को नगद भुगतान करना होता है। कार्यालय द्वारा इस तरह के नगद भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः आप स्वयं सीधे दुकानदार को छायाप्रति का वास्तविक मूल्य भुगतान कर इस कार्यालय से कालोनी के ले-आउट की प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर सकते हैं।

नीरज जैन

मुख्य अधिशाषी अधिकारी
मथुरा छावनी
(नीरज जैन)

